मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1361
11.12.2023 को उत्तर के लिए

एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध

1361. श्रीमती हिमाद्री सिंह :
श्री अजय कुमार मंडल :
श्री राजेन्द्र धेडया गावित :
श्रीमती लॉकेट चटर्जी :
श्री सुनील कुमार पिन्टू :
श्री रविन्दर कुशवाहा :
श्रीमती रमा देवी :
डॉ. संघमित्रा मौर्य :
श्री रवि किशन :
श्री रमेश चन्द्र कौशिक :
श्रीमती गीता कोडा :
श्री संजय भाटिया :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2021 के अंतर्गत यथा अधिसूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यान्वयन तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ख) चिह्नित की गई प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या अनेक विनिर्माताओं ने प्रतिबंधित प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे स्ट्रा, स्ट्रा कवर, सिगरेट के पैकेट आदि का निर्माण जारी रखा है;
(घ) सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र सहित उद्योगों में उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक और अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग को कम करने के लिए क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं;
(ड.) सरकार द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और प्लास्टिक के शन्य उपयोग का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;
(च) सरकार द्वारा देश में विभिन्न स्रोतों से सभी गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को एकत्र करने, पृथक करने और संसाधित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(छ) समुद्र तटों और पार्कों सहित सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (छ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किया है, जिसके तहत दिनांक 01 जुलाई, 2022 से कम उपयोगिता और कूड़ा फैलाने की अधिक क्षमता वाले अभिज्ञात एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (एसयूपी) की वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अधिसूचना के तहत दिनांक 31 दिसंबर, 2022 से एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को भी निषिद्ध किया गया है। 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम के बिना बुने (नॉन-वूवन) प्लास्टिक कैरी बैग को भी दिनांक 30 सितंबर 2021 से निषिद्ध किया गया है। इसके अलावा, सीपीसीबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीडब्ल्यूएम नियमों के अतिरिक्त, प्लास्टिक कैरी बैग और/या अभिज्ञात एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध से संबंधित विनियम लागू करते हुए अधिसूचनाएं/आदेश जारी किए हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और अभिज्ञात एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध को लागू करने के क्रम में सभी छत्तीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभिज्ञात एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वस्तुओं को पूरी तरह से समाप्त करने और प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष कार्य बलों का गठन किया है। अभिज्ञात एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वस्तुओं को पूरी तरह से समाप्त करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में समन्वित प्रयास करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर के कार्य बल का भी गठन किया गया है।

अभिज्ञात एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वस्तुओं को चरणबद्ध रीति से समाप्त करने के संबंध में ई-कॉमर्स कंपनियों, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रमुख विक्रेताओं/उपयोगकर्ताओं और प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के विनिर्माताओं को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है। देश में अभिज्ञात एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रचालन में हैं नामत: - (क) व्यापक कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड, (ख) एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन संबंधी अनुपालन के लिए सीपीसीबी का निगरानी मॉड्यूल और (ग) सीपीसीबी का शिकायत निवारण ऐप।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अभिज्ञात एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वस्तुओं तथा फल और सब्जी के बाजारों, थोक बाजारों, स्थानीय बाजारों, फूल विक्रेताओं, प्लास्टिक कैरी बैग की विनिर्माता इकाइयों आदि को शामिल करते हुए एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त,

सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी को प्लास्टिक शीट से ढके पेपर प्लेट जैसी वस्तुओं, जिन्हें प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के विकल्प के रूप में बेचा जा रहा है लेकिन वास्तव में एसयूपी प्रतिबंध के अंतर्गत शामिल किया गया है, पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।

अभिज्ञात एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वस्तुओं तथा एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर जुलाई 2022 से प्रतिबंध को लागू करने के लिए सीपीसीबी, एसपीसीबी/पीसीसी और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अखिल भारत स्तर पर प्रवर्तन अभियान और नियमित प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं। चूक होने पर कार्रवाइयां की गई हैं, जिनमें प्रतिबंधित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वस्तुओं को जब्त करना और जुर्माना लगाना शामिल है। वर्तमान में, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध को बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रवर्तन अभियान के दौरान, स्थानीय बाजारों में छोटी दुकानों सहित वाणिज्यिक स्थापनाओं और विनिर्माण इकाइयों में अभिज्ञात एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध का अनुपालन नहीं होते पाया गया है। चूक होने के मामलों में कार्रवाइयां की गई हैं, जिनमें प्रतिबंधित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वस्तुओं को जब्त करना और जुर्माना लगाना शामिल है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (पीडब्ल्यूएमआर), 2016 के तहत पूरे देश में पर्यावरणीय अनुकूल रीति से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सांविधिक कार्यढांचे का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 के द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देश भी अधिसूचित किए हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माताओं, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए उनके द्वारा बाज़ार में लाए गए प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्य को पूरा करने की बाध्यता नियत की गई है। इससे प्लास्टिक पैकेजिंग का पर्यावरणीय अनुकूल रीति से पुनर्चक्रण/उपयोग अवधि समाप्त होने पर निपटान करना सुगम होता है।

भारत सरकार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त करने पर विशेष बल दिया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 अधिसूचित किए हैं, जिनके तहत प्लास्टिक सहित विभिन्न खाद्य पैकेजिंग सामग्री के लिए सामान्य और विशिष्ट अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। इन विनियमों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कागज, कांच, धातुओं और प्लास्टिक सामग्री का उपयोग खाद्य सामग्री की पैकेजिंग के लिए किया जाना है तो उसका विनिर्माण अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाओं (जीएमपी) और विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, मूल रूप से प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के संबंध में विनिर्दिष्ट समग्र स्थानांतरण सीमाओं और विशिष्ट स्थानांतरण सीमाओं का अनुपालन करना अपेक्षित है।

एफएसएसएआई द्वारा खाद्य और पेय उद्योग को उनके प्लास्टिक फुट प्रिंट को कम करने में सक्षम बनाने के लिए नियामक उपाय किए गए हैं जैसे कि : - (i) खाद्य संपर्क सामग्री के रूप में बांस के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए; (ii) कतिपय शर्तों के अध्यधीन होटल परिसरों के भीतर निजी उपयोग के लिए कागज-सीलबंद पुन: प्रयोज्य कांच की बोतलों में पेय जल परोसने की अनुमति दी गई है; (iii) कृत्रिम रूप से मीठे पेय पदार्थों की पैकेजिंग के लिए वापसी योग्य बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध हटा दिया गया; (iv) पेय जल की पैकेजिंग के दौरान पीईटी बोतलों में द्रव्य नाइट्रोजन की उचित मात्रा में उपयोग की अनुमति दी गई; (v) वर्तमान में उपयोग किए जा रहे प्लास्टिक के अलावा पेय जल की पैकेजिंग के लिए अन्य खाद्य ग्रेड की पैकेजिंग सामग्रियों के उपयोग की अनुमति दी गई है; और (vi) 'ईट राइट इंडिया' पहल के भाग के रूप में जैव-अवक्रमणीय पैकेजिंग को बढ़ावा और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए खाद्य व्यवसाय को प्रोत्साहित किया गया।

प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी ईपीआर दिशानिर्देशों के तहत खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अध्यधीन सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग को अनिवार्य किया गया है। ईपीआर दिशानिर्देशों के तहत संधारणीय प्लास्टिक पैकेजिंग को भी बढ़ावा दिया जाता है जिससे प्लास्टिक फुट प्रिंट में कमी आती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ-निर्मल तट अभियान के तहत 10 तटीय राज्यों नामत: गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 75 अभिज्ञात समुद्र तटों पर एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता-सह-जागरूकता अभियान का आयोजन किया। भारत सरकार ने भारत के 7500 कि.मी. समुद्र तट से 15 हजार टन प्लास्टिक अपशिष्ट को हटाकर सामूहिक कार्रवाई के द्वारा महासागर की स्थिति में सुधार के लिए "स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर (क्लीन कोस्ट सेफ सी)" अभियान नामक 75-दिवसीय नागरिक नेतृत्व वाला अभियान चलाया।

*****